POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 14.08.2025

1. थाना बिसरख पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए पाँच शातिर बदमाशो को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया, कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार, एक मोबाइल फोन, आलाकत्ल व अवैध शस्त्र बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- मुकदमा वादी की तहरीर सूचना के आधार पर अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के भाई नरेश प्रजापति की दिनांक 02.08.2025 को हत्या कर शव को थाना नरसैना, जिला बुलन्दशहर की नहर किनारे मिलने के सम्बन्ध में थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 552/2025 धारा 103 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **14.08.2025** को **थाना बिसरख पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से चिपियाना बुजुर्ग के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी सामने से एक स्विफ्ट डिजाइर कार तेजी से आती हुई दिखाई दी जिसे पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा किया गया तो कार सवार व्यक्ति नही रुके और अपनी कार को तेजी से लेकर चिपियाना सुपरकास्ट फैक्ट्री की ओर भागने लगे तथा फिर दाहिने मुडकर रोजा जलालपुर की ओर भागने लगे। थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर उपरोक्त कार की घेराबन्दी की गई तो बदमाशो की कार अनियिन्त्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। कार सवार बदमाशो द्वारा स्वयं को घिरता देखकर कार से उतरकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर की गयी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गये जिनकी पहचान 1.नीरज (घायल) 2.सुनील(घायल) के रूप में हुयी है। 03 बदमाशों को पुलिस टीम द्वारा काम्बिंग के दौरान **गिरफ्तार** किया गया है, जिनकी पहचान 3.सौरभ कुमार 4.प्रवीण शर्मा व 5.प्रवीन मावी के रूप में हुई है। बदमाशों के कब्जे से 03 देशी तमंचे .315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 02 खोखा कारतूस .315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त एक स्विफ्ट डिजाइर कार रजि नं0- यूपी 37 के 1800, एक आलाकत्ल धारदार दांती, घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल की-पैड व एक गमछा (मृतक नरेश प्रजापति) का बरामद हुआ है। अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि दिनांक 02.08.2025 को नरेश प्रजापति पुत्र स्व0 सोनपाल प्रजापति निवासी रोजा जलालपुर, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर की हत्या की थी और शव को ले जाकर थाना नरसेना, जनपद बुलन्दशहर में स्थित नहर किनारे फेंक दिया था। जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख पर मु0अ0सं0- 552/2025 धारा 103 बीएनएस पंजीकृत है।

अपराध का तरीका-- दिनांक 12.06.2025 को अभियुक्त नीरज की अपने भतीजे गौरव के पिलखुवा स्थित मकान का मोटर ठीक करने के दौरान खान उर्फ महराज से मुलाकात हुई थी, खान उर्फ महराज ने नीरज को बताया कि मेरा एक दोस्त सुनील पुत्र हरेराम निवासी दुजाना थाना बादलपुर है, जिसका मित्र प्रवीण शर्मा निवासी रोजा जलालपुर थाना बिसरख है। प्रवीण शर्मा की पत्नी को उसी गांव के पूजा पाठ करने वाले तांत्रिक नरेश प्रजापति (मृतक) ने वशीकरण कर दिया है, जिससे प्रवीण की पत्नी उसको छोडकर चली गयी है और प्रवीण काफी दुखी रहता है और वह नरेश प्रजापति से बदला लेना चाहता है। प्रवीण शर्मा काफी पैसे वाला है, यदि तुम लोग नरेश प्रजापति को ठिकाने लगा दोगें तो सुनील के माध्यम से प्रवीण शर्मा तुम लोगो को 100-100 गज के प्लाट बनवाकर दे देगा और लग्जरी गाड़ियां भी देगा। इससे नीरज को लालच आ गया और इस बात से नीरज ने अपने साथी सौरभ व उसके भाई को बताया जिस पर वह दोनो भी तैयार हो गये। उसके बाद नीरज, सौरभ व सौरभ का भाई तीनों गौरव के मकान पिलखुवा गये जहाँ पर गौरव के साथ खान उर्फ महराज व सुनील कुमार मिले थे। सुनील कुमार ने इन सबको बताया कि यदि तुम लोग नरेश प्रजापति (मृतक) की हत्या करके उसको ठिकाने लगा सकते हो तो उसके बदले में मेरा मित्र तुमको 100-100 गज के प्लाट तैयार कराकर दे देगा और लग्जरी गाडियां भी देगा। जिस पर यह सभी लोग, नरेश प्रजापति की हत्या करने को तैयार हो गये ।

दिनांक 16.07.2025 को नीरज, सौरभ व सौरभ का भाई रोजा जलालपुर में नरेश प्रजापति की दुकान पर गये और नीरज ने वीडियो कॉल करके सुनील प्रजापति को दिखाया जिसको देखकर सुनील ने नरेश प्रजापति की पहचान करायी थी और इन लोगो द्वारा नरेश प्रजापति (मृतक) से पूजा पाठ कराने की बात की। नरेश प्रजापति (नरेश) पूजा पाठ करने के लिये तैयार हो गया था। दिनांक 24.07.2025 को नीरज, सौरभ व सौरभ का भाई वेवसिटी गये थे जहां पर सुनील, प्रवीण शर्मा के साथ मिला था और प्रवीण ने इन लोगो को पुनः प्लाट व गाड़ी का लालच दिया था। इस बात पर इन लोगो ने भरोसा किया और लालच में आ गये। इसके बाद यह लोग अपने दोस्त प्रवीन मावी निवासी बुलन्दशहर के घर पर गये वहां पर प्रवीन मावी मिला, उसको इन लोगो ने बताया कि नरेश प्रजापति निवासी रोजा जलालपुर नोएडा की हत्या करके छिपाने का काम मिला है, हमारी मदद करो जिसमें तुम्हारा भी हिस्सा हम लोग तुमको देगें। जिस पर प्रवीन मावी भी तैयार हो गया और इन लोगो के साथ उसके गांव के पास में बह रही नहर के पास सुनसान जगह दिखाकर बताया कि यह जगह है यहां पर लोगो का आना-जाना कम रहता है यहीं पर लाकर हत्या कर शव को नहर में फेंक देना किसी को कुछ नही पता चलेगा।

योजना के मुताबिक नरेश प्रजापति से बात करने के लिये अभियुक्तों द्वारा एक सिम का इंतजाम किया गया और इन लोगो ने एक छोटे कीपैड मोबाइल में सिम लगाया। फिर दिनांक 02.08.2025 को नीरज, सौरभ, सौरभ का भाई तीनों ने स्विफ्ट डिजायर कार रजि0नं0 यूपी 37 के 1800 से रोजा जलालपुर नरेश प्रजापति के गांव पहुंचे कि तभी गांव के बाहर नरेश प्रजापति आता हुआ दिखाई दिया और नरेश प्रजापति को इन लोगो ने अपनी गाडी में बैठा लिया। इसके बाद ये लोग नरेश प्रजापति की हत्या करने की नियत से साजिश के तहत उसको गाड़ी में बैठाकर चल दिये उसके बाद सुनसान जगह पाकर इन लोगो ने मिलकर नरेश प्रजापति के पहने हुए गमछे से ही नरेश का

गला घोट दिया जिससे नरेश प्रजापति बेहोश हो गया और ये लोग अनूपशहर होते हुये प्रवीन मावी द्वारा दिखाये गये स्थान नहर, बुलन्दशहर पर पंहुचे। तब तक काफी अंधेरा हो गया था तब इन लोगो ने नरेश को कार से नीचे उतारा और कार में रखी धारदार लोहे की दरांती से सौरभ ने नरेश के सिर पर कई बार किये जिससे नरेश प्रजापति की मौके पर मृत्यु हो गयी जिसके पश्चात इन लोगो ने नरेश के शव को नहर के कुलावे में फेंक कर छिपा दिया जिसमें काफी झाडियां थी। मृतक के पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो मिले थे जिसे इन लोगो ने नहर में फेंक दिया था तथा मोबाइल रास्ते में कहीं अधेंरे में फेंक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. नीरज पुत्र तेजवीर निवासी ग्राम कावी, थाना पिलुखवा, हापुड़।
2. सुनील कुमार पुत्र स्व0 हरे राम निवासी ग्राम दुजाना, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
3. सौरभ कुमार पुत्र मुकेश कुमार निवासी ग्राम भरना, थाना सिम्भावली, बुलन्दशहर।
4. प्रवीण शर्मा पुत्र स्व0 मदन लाल शर्मा निवासी ग्राम रोजाजलालपुर, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।
5. प्रवीन मावी पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम मवई, थाना नरसैना, बुलन्दशहर।

बरामदगी का विवरण--

1. एक दांती(आला कत्ल)
2. एक गमछा (मृतक नरेश प्रजापति)
3. एक मोबाइल कीपैड (घटना में प्रयुक्त) टूटा हुआ।
4. एक कार स्विफ्ट डिजायर रजिस्ट्रेशन नम्बर यूपी 37 के 1800 (घटना में प्रयुक्त)
5. 03 देशी तंमचे .315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 02 खोखा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0-552/2025 धारा 103 बीएनएस, थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0-594/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।